F-07-07



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1828/ Type Approval No. 1828

मद/FOR ITEM: आर्मामेंट कॉनफिगरेशन पैनल, मॉडल सं. एसीपी1000एचजेटी/ Armament Configuration Panel, Model No. ACP1000HJT

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एसएलआरडीसी-इंजिनीरिंग, बालानगर, एच ए एल (पी.ओ), हैदराबाद-500 042, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " आर्मीमेंट कॉनिफिगरेशन पैनल, मॉडल सं. एसीपी1000एचजेटी ", पार्ट सं. ई 101.01.0000 को असेंब्ली आरेखन सं. ई 101.01.0000ए, इश्यू सं.1, दिनांक 09 जनवरी 2014 के अनुसार एच जे टी-36 वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ सं. ई 101.01.0000 टीएस, इश्यू-'ए', दिनांक 24 जुलाई 2013 और क्वालिफिकेशन टेस्ट प्लान दस्तावेज़ सं. ई 101.01.0000क्यूटीपी, इश्यू-'ए', दिनांक 26 नवंबर 2013 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न " वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Armament Configuration Panel, Model No. ACP1000HJT" bearing the Part No. E101.01.0000 Designed, Developed & Manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, SLRDC- Engg, Balanagar, HAL (P.O), Hyderabad- 500 042, is hereby approved for production as per assembly drawing No. E101.01.0000A, Issue No. 1, Dated: 9th Jan 2014 for use on HJT-36 aircraft. It has been tested in coordination with RCMA (Hyderabad) as per Governing Technical Specification Doc. No. E101.01.0000 TS, Issue – 'A', Dated: 24th July 2013 and Qualification Test Plan Doc No.: E101.01.0000 QTP, Issue – 'A', Dated: 26th Nov 2013. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਸੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No.1828 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट ' ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1828

दिनांक/Date : *28 July 2014* फैक्स सं./Fax No: 080-25230856 (पी.जयपाल /P. JAYAPAL) मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)

2567